न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 05/2025 अपील (GCMS 2025/5)
पंजीयन दिनांक- 18/01/2025
निर्णय दिनांक- 02/02/2026

1. श्री भंवरसिंह पिता स्व. अमरसिंह राजपुत, निवासी आर्शीवाद भवन, वार्ड संख्या 2, स्वरूप सागर के पास, सनवाड़, राजसमंद, तहसील व जिला राजसमंद।

-अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती केसर कुंवर पिता स्व. अमरसिंह राजपुत पति पाबुसिंह सोलंकी, निवासी प्लॉट संख्या 64, सिद्धार्थ नगर, जावद, राजसमंद, तहसील व जिला राजसमंद।
2. श्रीमती किशन कुंवर पिता स्व. अमरसिंह राजपुत पति गणपतसिंह डुलावत, निवासी प्लॉट संख्या 63 बी, सिद्धार्थ नगर, जावद, राजसमंद, तहसील व जिला राजसमंद।
3. श्रीमती पूनम कुंवर पिता पिता स्व. अमरसिंह राजपुत पति विक्रमसिंह राठौड़, निवासी प्लॉट संख्या 63 ए, सिद्धार्थ नगर, जावद, राजसमंद, तहसील व जिला राजसमंद।
4. श्रीमती मोहनबाई पत्नि स्व. अमरसिंह राजपुत, निवासी आर्शीवाद भवन, वार्ड संख्या 2, स्वरूप सागर के पास, सनवाड़, राजसमंद, तहसील व जिला राजसमंद।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राजसमंद, तहसील व जिला राजसमंद।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-

1. श्री शरद दशौरा - अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राज. अभिभाषक - अधि. रेस्पो. संख्या 5

अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, राजसमंद के प्ररकण संख्या 13/2023
निर्णय दिनांक 08.11.2024

<u>निर्णय</u>

दिनांक 02/02/2026

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत जिला कलक्टर, राजसमंद के प्रकरण संख्या 13/2023 निर्णय 08.11.2024 के विरूद्ध दिनांक 08.01.2025 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद के यहां तहसीलदार, राजसमंद के नामांतरकरण संख्या 1860 दिनांक 22.06.2022 स्वीकृत दिनांक 13.07.2022 के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलांट के पिता श्री अमरसिंह राजपुत के खातेदारी व आधिपत्य आराजी संख्या 708, 368, 389, 1686/2, 126, 129, 130, 364, 365, 366, 370, 388, 69/1 ग्राम सनवाड़ में स्थित है। अपीलांट के पिता का दिनांक 09.05.2021 को निधन हो गया है। उन्होनें अपने जीवनकाल में वसीयतनामा निष्पादित कर अपनी स्व-अर्जित संपत्तियां अपने पुत्र एवं पुत्रियों तथा पत्नि को वसीयत के आधार पर मृत्यु के बाद स्वामित्व प्रदान करते हुए दी है, इस संबंध में तहसीलदार, राजसमंद द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों का नामांतरकरण संख्या 1860 अपीलांट व रेस्पोडेंटगण के पक्ष में दिनांक 22.06.2022 को विरासत के आधार पर खोला है, जो गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त फरमाया जावें। उपरोक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 13/2023 निर्णय दिनांक 08.11.2024 से अपीलांट की अपील अस्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.11.2024 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:- ***"उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर***

गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है, कि विरासत के आधार पर उक्त नामांतरकरण को फैसल किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत के दस्तावेज पक्षकारान् के पूर्वाधिकारी की मृत्यु के एक वर्ष से अधिक समय के पश्चात् तक उक्त वसीयतनामा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमंद में पेश नहीं किया गया। उसका भी कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमंद द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत विरासत का नामांतरकरण निर्णित किया गया जो विधि सम्मत है। नामांतरकरण एक फिस्कल प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के हक अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई हैं।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शरद दशौरा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 29.01.2026 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि प्रकरण में वर्णित आराजीयात के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमंद द्वारा अपीलांट को बिना सुने, बिना उसका जवाब लिये तथा बिना उसकी साक्ष्य लिए उक्त नामांतरकरण खोला गया है, जबकि अपीलांट स्व. अमरसिंह का एकमात्र पुत्र होकर उत्तराधिकारी है। अपीलांट के पिता का दिनांक 09.05.2021 को निधन हो गया है। उन्होनें अपने जीवनकाल में वसीयतनामा निष्पादित कर अपनी स्व-अर्जित संपत्तियां

अपने पुत्र एवं पुत्रियों तथा पत्नि को वसीयत के आधार पर मृत्यु के बाद स्वामित्व प्रदान करते हुए दी है। जब किसी खातेदार ने अपनी स्व-अर्जित संपत्तियों के लिए वसीयतनामा लिख दिया है, तो वसीयत के आधार पर ही नामांतरकरण खोला जाना कानूनन आवश्यक है, न की विरासत से। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमंद द्वारा केवल विपक्षी पूनम कंवर के झुठे शपथ पत्र के आधार पर झुठा नामांतरकरण स्वीकृत कर दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद का अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 5 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा दिनांक 08.11.2024 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.11.2024 को किया गया है जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 08.01.2025 को अंदर मयाद पेश की है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद के यहां तहसीलदार, राजसमंद के नामांतरकरण संख्या 1860 निर्णय दिनांक 22.06.2022 के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलांट के पिता श्री अमरसिंह राजपुत के खातेदारी व आधिपत्य आराजी संख्या 708, 368, 389, 1686/2, 126, 129, 130, 364, 365, 366, 370, 388, 69/1 ग्राम सनवाड़ में स्थित है। अपीलांट के पिता का दिनांक 09.05.2021 को निधन हो गया है। उन्होनें अपने जीवनकाल में वसीयतनामा

निष्पादित कर अपनी स्व-अर्जित संपत्तियां अपने पुत्र एवं पुत्रियों तथा पत्नि को वसीयत के आधार पर मृत्यु के बाद स्वामित्व प्रदान करते हुए दी है, इस संबंध में तहसीलदार, राजसमंद द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों का नामांतरकरण संख्या 1860 अपीलांट व रेस्पोडेंटगण के पक्ष में दिनांक 22.06.2022 को विरासत के आधार पर खोला है, जो गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त फरमाया जावें। उपरोक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 13/2023 निर्णय दिनांक 08.11.2024 से अपीलांट की अपील अस्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश की गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट का प्रमुख उज्र यह था कि स्व. अमरसिंह राजपूत द्वारा अपने जीवनकाल में पक्षकारान् के पक्ष में एक वसीयतनामा निष्पादित कर अपनी स्व-अर्जित संपत्तियां अपने पुत्र एवं पुत्रियों तथा पत्नि को वसीयत के आधार पर मृत्यु के बाद स्वामित्व प्रदान करते हुए दी है। इस संबंध में रेस्पोडेंट संख्या 3 के शपथ पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमंद द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों का नामांतरकरण संख्या 1860 अपीलांट व रेस्पोडेंटगण के पक्ष में दिनांक 22.06.2022 को विरासत के आधार पर खोला है, जो गलत है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमंद को उक्त नामांतरकरण वसीयतनामा के आधार पर नियमानुसार खोला जाना चाहिए था।

न्यायालय द्वारा उक्त आक्षेप का परीक्षण किया गया। प्रकरण में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि नामान्तरकरण जैसी सरसरी कार्यवाही में वसीयत अथवा गोद जैसे जठित प्रश्नों का निस्तारण नहीं किया जा सकता। वसीयत अथवा गोद के बिन्दू साक्ष्य के आधार पर नियमित वाद में ही निर्णित किये जा सकते हैं। नामान्तरकरण की कार्यवाही 'सरसरी' कार्यवाही होती है जिसके आधार पर किसी के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं। अपीलांट

को अपने अधिकार तय कराने बाबत् सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये।

विधिक स्थित स्पष्ट करती है कि जहां प्राकृतिक वारिसानों के मध्य वसीयत का विवाद हो, वहां पर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा 2020 RBJ 301 में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- On the basis of Un-registered Will mutation cannot be attested- Non applicant should file a suit in the competent court who can decide about the validity of Will mutation proceedings is a fiscal proceedings in which rights about khatedar of land cannot be decided."

इसके अनुसार वसीयत के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने पर ही वसीयत की वैद्यता के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। नामांतरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है।

2017 (2) RRT 1279 में मण्डल की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135 & 84 - Mutation- attested in favour of petitioners on the basis of Will-Addl. Collector allowed the appeal and found the will suspicious – Will was unregistered & only attested by the Notary – Divisional Commissioner found the will suspicious even then set aside the order of the Addl. Collector – BOR allowed the

revision of non-petitioners – Held, No illegality or perversity in order passed by the BOR"

2016 (2) RRT 1099 में मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation- Will in favour of 'R' Addl. Divisional Commissioner directed to record the land in the name of heirs of 'L'- Dispute between natural heirs & testamentary heirs 'R'- 'R' is required to prove will in the regular suit- Suit for title is pending- Held, Interference in the order is not justified."

2003 (1) RRT 650 में मण्डल की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण उनवानी जेठू बनाम भंवरसिंह व अन्य में स्पष्ट मत इस प्रकार से व्यक्त किया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation Proceeding – Fiscal entries like mutation does not represent or create any title or interest in the property, nor the complicated issue of succession, either by way of Will of adoption can be settled in mutation proceedings and the parties have to approach the appropriated forum for adjudication of title."

उक्तानुसार जहां प्राकृतिक वारिसानों के मध्य वसीयत का विवाद हो, वहां नियमित वाद में ही वसीयत साबित करना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत की, जिसका परिणाम हस्तगत अपील है, अतः इस प्रकरण में वारिसानों के मध्य विवाद की स्थिति, जो नियमित वाद में ही साबित किया जा सकता है।

जहां तक वसीयत की वैधता एवं उसके प्रमाणन का प्रश्न है, उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वसीयत का विवाद सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित होगा (2005 आरआरडी 401) और वसीयत की प्रमाणिकता की जांच सिविल न्यायालय द्वारा की जा सकती है (2019 आरआरडी-78, 79)। अतः वसीयत

की वैधता एवं उसके प्रमाणन के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी किया जाना क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रकरण में वर्णित वसीयतनामा के दस्तावेज पक्षकारान् के पूर्वाधिकारी की मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष से अधिक समय तक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमंद के न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं किया गया था, जिसका भी कोई ठोस कारण एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमंद द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत विरासत के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है।

इस प्रकरण में हम हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा-8 व 10 के प्रावधानों का उल्लेख किया जाना उचित समझते है, जिसके अनुसारः-

Section 8 provides for the general rules of succession applicable to the devolution of the property of a male Hindu dying intestate.44 The property devolves firstly, on the heirs specified in Class I of the Schedule; if there is no heir of Class I, then, on the heirs specified in Class II; if there is no heir in any of the two classes, on agnates and if there are no agnates, then upon the cognates of the deceased. Section 9 provides for the order of succession among the heirs in the Schedule. Section 10 provides for the distribution of property among heirs in Class I of the Schedule in the following terms:

"10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule.—

The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules:—

Rule 1.— The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.

Rule 2.— The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.

Rule 3.— The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.

Rule 4.— The distribution of the share referred to in Rule 3—

(i) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters gets equal portions; and the branch of his predeceased sons gets the same portion;

(ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions."

In terms of Section 10, the division of property of an intestate among the heirs in Class - I is governed by the four Rules extracted above. They stipulate that

(i) the widow or if there is more than one all of them together shall take one share;

(ii) the surviving sons and daughters and mother shall each take one share; and

(iii) heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter take between them one share.

Class-I of the Schedule is in the following terms:

"Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a predeceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a predeceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a predeceased son of a pre-deceased son; [son of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a

pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a predeceased son]."

उपयुक्त क्रम में हम माननीय सर्वोच्यय न्यायालय के निम्नांकित दृष्टांतों का उल्लेख किया जाना उचित समझते है जो हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के पक्ष को साबित करते है:

SUPREME COURT OF INDIA- Arunachala Gounder (Dead) By Lrs. – Appellant Versus Ponnusamy And Ors. – Respondent, Civil Appeal No. 6659 of 2011, Decided on : 20-01-2022

(A) Hindu Succession Act, 1956 – Sections 14 and 15 – Female Hindu succession – Right of a widow or daughter to inherit self-acquired property or share received in partition of a coparcenary property of a Hindu male dying intestate is well recognized not only under old customary Hindu Law but also by various judicial pronouncements – If a property of a male Hindu dying intestate is a self-acquired property or obtained in partition of a coparcenary or a family property, same would devolve by inheritance and not by survivorship and a daughter of such a male Hindu would be entitled to inherit such property in preference to other collaterals. (Para 66)

इस आदेश में वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टातों से जाहिर यह विधिक स्थिति प्रकट होती है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 - धारा 14 व 15 - महिला हिन्दु उत्तराधिकार - एक विधवा या बेटी का स्व-अर्जित संपत्ति या बिना वसीयत के मरने वाले हिन्दु पुरूष की सहदायिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त हिस्से को विरासत में पाने का अधिकारी न केवल पुराने प्रथागत हिन्दु कानून के तहत बल्कि विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के तहत अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है:- यदि बिना वसीयत के मरने वाले हिन्दु पुरूष की संपत्ति स्व-अर्जित संपत्ति है या सहदायिक या पारिवारिक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई है, तो यह उत्तराधिकार के तहत प्राप्त होगी न कि

उत्तरजीविता द्वारा और ऐसे हिन्दु पुरूष की बेटी अन्य संपार्श्विक के मुकाबले ऐसी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने की हकदार होगी। इसके अतिरिक्त यह सिद्वान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि जहां हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राकृतिक वारिसान, जिसमें उक्तानुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान को वरियता प्रदान की जानी है, के नाम नामंतरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में मृतक अमरसिंह राजपुत के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसानों के नाम नामांतरकरण स्वीकृत किया जाना अपेक्षित था। अतः तहसीलदार, राजसमंद द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत विरासत के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक तथा विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि तहसीलदार, राजसमंद के नामांतरकरण संख्या 1860 दिनांक 22.06.2022 स्वीकृत दिनांक 13.07.2022 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद के समक्ष प्रस्तुत अपील पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं पर्याप्त कारण अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट सारहिन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद का निर्णय दिनांक 08.11.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावें।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर